न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 06/2009

बिरधीलाल पुत्र श्री धूल्या जाति बलाई निवासी भटवाडा तहसील मांगरोल जिला बारां
—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां
2. हेमराज पुत्र बिरधीलाल जाति बैरवा निवासी भटवाडा तहसील मांगरोल
3. गजानन्द पुत्र श्री बिरधीलाल जाति बैरवा निवासी भटवाडा तहसील मांगरोल जिला बारां

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी :— श्री कर्मवीर शर्मा
वकील प्रतिवादीगणः— श्री अजीत कुमार जैन

निर्णय दिनांक : 24.01.2019

दायरा दिनांकः 23.06.2009

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के खाते व कब्जे काश्त की कृषि आराजी वाके माल भटवाडा खसरा नं0 115 रकबा 0.43 है0, खसरा नं0 121 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 194 रकबा 0.36 है0, खसरा नं0 1497 रकबा 0.89 है0, खसरा नं0 1532 रकबा 1.32 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 3.18 है0 खाता संख्या 197 पर दर्ज रेकार्ड है। वादी उक्त आराजी पर वर्षो से काबिज काश्त है, जिसको वर्तमान नकल जमाबंदी चाहने पर जानकारी में आया है कि वादी के कब्जे व खाते की खसरा नं0 121 रकबा 0.18 है0 को बिना किसी आधार पर प्रतिवादी नं0 1 ने त्रुटिपूर्ण सिवायचक दर्ज कर दिया है। जिसको वादी पुनः अपने खाते दर्ज करवाने का कानूनी अधिकारी है, तथा खसरा नं0 121 रकबा 0.18 है0 वादी के खाते की भूमि होने से वादी के खाते दर्ज किया जाना न्यायसंगत होगा। सिवायचक दर्ज होने से प्रतिवादी नं 2 व 3 वादी की खाता आराजी पर नियत रखते है, तथा वादी को परेशान करने लगे है कि तुम्हारे खाते की भूमि नही है। जिनको जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि वादी की दर्ज सिवायचक खसरा नं0 121 रकबा 018 है0 पर पुनः खातेदार घोषित किया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 23.06.2009 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है द्वारा दिनांक 23.01.2019 को उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल (लेण्ड होल्डर) की ओर से जवाब दावा वाद पत्र अनुसार ग्राम भटवाडा की सेटलमेंट जमाबंदी की खाता संख्या 297 में खसरा नं0 115 रकबा 0.43 है0, खसरा नं0 121 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 194 रकबा 0.36 है0, खसरा नं0 1497 रकबा 0.89 है0, खसरा

1532 रकबा 1.32 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 3.18 है0 भूमि बिरधीलाल पुत्र धूल्या कोम मेर बलाई सा0 देह की खातेदारी में दर्ज थी। प्रथम जमाबंदी सं0 2050–53 में खाता सं0 169 में खसरा नं0 115 रकबा 0.43 है0, खसरा नं0 194 रकबा 0.36 है0, खसरा नं0 1497 रकबा 0.89 है0, खसरा नं0 1532 रकबा 1.32 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 3.18 है0 दर्ज है। क्योकि उक्त किता 4 का रकबा 3.00 हो गया है। खसरा नं0 121 रकबा 0.18 है0 जमाबंदी लेखन के दौरान सहवन से छूट जाना प्रतीत होता है। क्योकि जमाबंदी सं0 2050–2053 में खसरा नं0 121 रकबा 0.18 है0 खाता सरकार में दर्ज नही है। इसके उपरान्त सम्वत 2054–57 में कम्प्यूटराइज जमाबंदी में खसरा नं0 121 रकबा 0.18 है0 को खाता सरकार सिवायचक में दर्ज किया गया। वर्तमान में मौके पर खसरा नं0 121 रकबा 0.18 है0 भूमी पर बिरधीलाल पुत्र धूला मेर का कब्जा काश्त किया जाता है।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन व गहन अध्ययन किया गया। प्रकरण में बहस फाईनल उभयपक्ष दिनांक 23.01.2019 को सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यो को ही दौराने बहस दोहराया। प्रतिवादी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) ने भी अपनी बहस के दौरान उन्ही तथ्यो का कथन किया है जिनका उनके द्वारा अपने जवाब दावे में अंकन किया गया है। प्रकरण में संलग्न दस्तावेज व प्रतिवादी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) के विस्तृत जवाब दावे एवं बहस फाईनल दिनांक 23.01.2019 के प्रकाश में वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वर्तमान जमाबंदी ग्राम भटवाडा की आराजी खसरा नं0 121 रकबा 0.18 है0 किस्म नहरी वर्तमान में राज सरकार के खाते सिवायचक दर्ज है (जो सेटलमेंट पूर्व की जमाबंदी अनुसार वादी के खाते दर्ज थी), मुताबिक प्रतिवादी कम 1 तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) सहवन से दर्ज हुई है को वादी बिरधीलाल पुत्र श्री धूल्या जाति बलाई निवासी भटवाडा तहसील मांगरोल के खाते दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा वादी बिरधीलाल पुत्र श्री धूल्या जाति बलाई निवासी भटवाडा तहसील मांगरोल को ग्राम भटवाडा की आराजी खसरा नं0 115 रकबा 0.43 है0, खसरा नं0 121 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 194 रकबा 0.36 है0, खसरा नं0 1497 रकबा 0.89 है0, खसरा नं0 1532 रकबा 1.32 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 3.18 है0 खाता संख्या 197 का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार मांगरोल उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किय जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2019 को